कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-04.01.2023

धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज़ के आधार पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने तथा नवीनीकरण करवाने के मामले मे वांछित अभियुक्त मो0 वसीम थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के पर्यवेक्षण मे थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा 1.मु0अ0सं0-735/20 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 2.मु0अ0सं0-737/20 धारा 419/420/323/504/506/384/467/468/471 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मोहम्मद वसीम पुत्र अजीमुल्लाह नि0 ग्राम बउली थाना सिन्धौरा जनपद वाराणसी को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक-04.01.2023 को समय 12.30 बजे सिन्धोरा बाजार से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-27.09.2020 को अभियुक्त वसीम व अन्य द्वारा अपना मूल पता छिपाते हुए गलत पते का प्रयोग करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना शस्त्र लाईसेंस बनवाने तथा उसका नवीनीकरण कराने के सम्बन्ध में थाना कैन्ट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-735/2020 पंजीकृत किया गया तथा वादी मुकदमा श्री मुख्तार अहमद पुत्र मेहंदी हसन निवासी नदेसर थाना कैन्ट कमिश्नरेट वाराणसी ने अभियुक्त उपरोक्त व अन्य द्वारा वादी के मकान के पते पर उनकी मर्जी/जानकारी के बगैर फर्जी व कूटरचित कागजात बनाकर फर्जी तरीके से एवं धोखाधड़ी करके प्रशासन को गुमराह करके तीन फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने तथा वादी से फिरौती की मांग करने,न देने पर मरने-पीटीने,गाली-गुप्ता देने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-737/2020 थाना कैण्ट पर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मोहम्मद वसीम पुत्र अजीमुल्लाह नि0 ग्राम बउली थाना सिन्धौरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 48 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 हरिओम प्रताप सिंह चौकी प्रभारी नदेसर थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

2.का0 अजय प्रताप सिंह थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी